रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 588] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 1987/कार्तिक 29, 1909

No. 588] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 1987/KARTIKA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1987

आदेश

का. आ. 1007 (अ) 18 कक / आई. डी. आर. ए./87, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का आ. 767 (अ), तारीख 23 अक्टूबर, 1981 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड बेलघरिया, पश्चिमी बंगाल नाम के संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन तीस दिन की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, सूर्य किरण भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 821 (अ) / 18कक / आई. डी. आर. ए./ 81, तारीख 21 नवम्बर, 1981, का. आ. 340 (अ)/ 18 कक / आई डी. आर. ए /82, तारीख 21 मई, 1982, सं. का. आ. 810 (अ) /18 कक / आई. डी आर. ए./ 82, तारीख 17 नवम्बर, 1982, सं. का. आ. 369 (अ) /18 कक / आई. डी. आर. ए. /83, तारीख 21 मई, 1983, सं का. आ. 851 (अ) /18 कक / आई डी. आर. ए. /83, तारीख 21 नवम्बर, 1983, सं. का. आ. 397 (अ) /18 कक / आई. डी. आर. ए. /84, तारीख 21 मई, 1984, सं. का. आ. 405 (अ)/ 18 कक / आई. डी. आर ए. /85, तारीख 20 मई, 1985, सं. का. आ. 835 (अ)/18कक/आई. डी. आर ए/85 तारीख 19 नवम्बर, 1985 सं. का. आ.

272 (अ)/ 18 कक / आई. डी. आर. ए./ 86, तारीख 20 मई, 1986, और सं. का. आ. 853 (अ) / 18 कक / आई. डी आर. ए./ 86, तारीख 21 नवम्बर, 1986, सं. का. आ. 509/(अ)/ 18 कक/ आई. डी. आर. ए./ 87—तारीख 21 मई, 1987 द्वारा उक्त आदेश को 21 नवम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, उक्त नेशनल टक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन चार मास की और अवधि के लिए बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 21 मार्च, 1988 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, चार मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3 (5) /81-सीयूएस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 20th November, 1987

ORDERS

S.O. 1007(E)|18AA|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 767(E), dated the 23rd October, 1981 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Mohini Mills Limited, Belgaria, West Bengal, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of thirty days and the National Textile Corporation Limited, Surya Kiran Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas by the Orders of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 821(E)|18AA|IDRA|81 dated the 21st November, 1981, S.O. 340(E)|18AA|IDRA|82, dated the 21st May, 1982, S.O. 810(E)|18AA|IDRA|82, dated the 17th Nov., 1982;

S.O. 369(E)|18AA|IDRA|83, dated the 21st May, 1983;

S.O. 851(E)|18AA|IDRA|83, dated the 21st Nov., 1983;

S.O. 397(E)|18AA|IDRA|84, dated the 21st May, 1984;

S.O. 871(E)|18AA|IDRA|84, dated the 21st Nov., 1984;

S.O. 871(E)|18AA|IDRA|84, dated the 21st May, 1985;

S.O. 835(E)|18AA|IDRA|85, dated the 19th November, 1985;

S.O. 272(E)|18AA|IDRA|86, dated the 20th May, 1986;

S.O. 853(E)|18AA|IDRA|86, dated the 21st Nov., 1986;

S. O. 509(E)|18AA|IDRA|87, dated the 21st May, 1987; the said Order was extended upto and inclusive of the 21st November, 1987;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the said National Textile Corporation Limited for a further period of four months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of four months upto and inclusive of the 21st March, 1988.

[File No. 3(5)|81-CUS]

का. आ. 1008 (अ) /18 चख / आई. डी. आर. ए. /87—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 783 (अ) /18 चख/ आई. डी. आर. ए. /81, तारीख 2 नवम्बर, 1981 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी या किन्हीं संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, परि-

निर्धारिणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का उनसे संलग्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूति दायित्वों से संबंधित) जिनका मैसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड, बेलघारिया, पश्चिम बंगाल नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हैं, प्रवर्तन 21 नवम्बर, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं.

का. आ. 822 (अ) /18 चख / आई. डी. आर. ए. /81, तारीख 21 नवम्बर, 1981 ;

का आ. 341 (अ) /18 चख /आई. डी. आर. ए. /82, तारीख 21 मई, 1982 ;

का. आ. 811 (अ) /18 चख / आई. डी. आर. ए. /82, तारीख 17 नवम्बर, 1982 ;

का. आ. 370 (अ) /18 चख /आई. डी. आर. ए. /83, तारीख 21 मई, 1983 ;

का. आ 852 (अ) /18 चख /आई. डी. आर. ए. /83, तारीख 21 नवम्बर, 1983 ;

का. आ. 398 (अ) /18 चख /आई. डी. आर. ए. /84, तारीख 21 मई, 1984 ;

का. आ. 872 (अ) /18 चख /आई. डी. आर. ए. /74, तारीख 21 नवम्बर, 1984 ;

का. आ. 406 (अ) /18 चख / आई. डी. आर. ए. /85, तारीख 20 मई, 1985 ;

का. आ. 836 (अ) /18 चख/आई. डी. आर. ए. / 85, तारीख 19 नवम्बर, 1986 ;

का. आ. 273 (अ) /18 चख / आई. डी. आर. ए. /86, तारीख 20 मई, 1986 ;

का. आ. 854 (अ) /18 चख / आई. डी. आर. ए. /86, तारीख 21 नवम्बर 1986 ; और

का.आ. 508(अ) /18 चख / आई. डी.आर. ए. /87, तारीख 21 मई, 1987 द्वारा उक्त आदेश को 21 नवम्बर 1987, तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को और आगे ही और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 21 मार्च, 1988 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3 (5)/81—सी. यू. एस]

ए. वी. गोकाक, संयुक्त सचिव

S.O. 1008(E)|18FB|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 783(E)|18FB|IDRA|81, dated the 2nd November, 1981 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other then those relating to secured liabilities to Banks and financial institution) to which the industrial undertaking known as Messrs Mohin Mills Limited, Belgharia, West Bengal is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period upto and inclusive of the 21st November, 1981 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas by the Orders of the Government of Indian in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Number :

S.O. 822(E)|18FB|IDRA|81, dated the 21st November, 1981;

S.O. 341(E)|18FB|IDRA|82, dated the 21st May, 1982;

S.O. 811(E)|18FB|IDRA|82, dated the 17th November, 1982;

S.O. 370(E)|18FB|IDRA|83, dated the 21st May, 1983;

S.O. 852(E)|18FB|IDRA|83, dated the 21st November, 1983;

S.O. 398(E)|18FB|IDRA|84, dated the 21st May, 1984;

S.O. 872(E)|18FB|IDRA|84, dated the 21st November, 1984;

S.O. 406(E)|18FB|IDRA|85, dated the 20th May, 1985;

S.O. 836(E)|18FB|IDRA|85, dated the 19th November, 1985;

S.O. 273(E)|18FB|IDRA|86, dated the 20th May, 1986;

S.O. 854(E)|18FB|IDRA|86, dated the 21st November, 1986; and

S.O. 508(E)|18FB|IDRA|87, dated the 21st May, 1987, the said Order was extended for the period upto and inclusive of the 21st November, 1987;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of four months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 21st March, 1988.

[File No. 3(5)|81-CUS]
A. V. GOKAK, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987